भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5531

जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/06 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक का उपयोग और राजसहायता को युक्तिसंगत बनाया जाना

5531. श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री विजय बघेल:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री भोजराज नाग:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य/जिला-वार उर्वरक पर दी गई कुल राजसहायता तथा आवंटन और उपयोग कितना है;

(ख) क्या पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) संबंधी सुधारों से देश में राज्य/जिला-वार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश (एन:पी:के) के अनुपात के असंतुलन को ठीक करने में सहायता मिली है;

(ग) यदि हां, तो देश में राज्य-वार और जिला-वार किसानों के बीच देखे गए रुझान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों के बीच नैनो-यूरिया के उपयोग में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो उक्त वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और अन्य निगरानी तंत्रों के माध्यम से राजसहायता की चोरी में कमी आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): 'उर्वरकों में (डीबीटी)' प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। सभी किसानों को कोई मनाही नहीं के आधार पर सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। पिछले तीन वर्षों, अर्थात 2022-23 से 2024-25 तक के दौरान सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटित और वितरित कुल राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़ें करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	आवंटन	व्यय
2022-23	**2,54,798.93**	**2,54,798.93**
2023-24	**1,95,421.00**	**1,95,420.51**
2024-25	**1,77,129.50**	**1,77,129.50**

(**ख**) **और** (**ग**): सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, सब्सिडी प्राप्त पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों अर्थात नाइट्रोजन(एन), फॉस्फोरस(पी), पोटेशियम (के) और सल्फर (एस) की मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी उत्पादक/आयातक को प्रदान की जाती है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम से जस्ता और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ सम्पुष्टीकरण पर अतिरिक्त सब्सिडी के साथ एनपीके ग्रेड उर्वरकों की बास्केट को बढ़ावा देकर मिट्टी के संतुलित उर्वरीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पी एंड के उर्वरकों की खपत का विवरण (एलएमटी में) निम्नानुसार है:

उत्पाद का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
डीएपी	119.18	92.64	105.31	109.73	96.29
एमओपी	34.32	23.93	16.32	16.45	22.02
एनपीकेएस	125.82	121.37	107.31	116.80	149.72
एसएसपी	44.89	56.76	50.18	45.44	49.28

(घ): नैनो यूरिया की राज्य-वार और वित्त वर्ष-वार बिक्री और उत्पादन संबंधी आंकड़ें **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(ड़.) और **(च):** किसान को सब्सिडी प्राप्त उर्वरक की बिक्री मध्यस्थता प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के जरिए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में प्रति खरीदार 50 बोरी अर्थात प्रति खरीदार प्रति मौसम कुल 300 बोरी की मासिक सीमा है। खरीदार के लिए पारदर्शिता लाने के लिए मासिक और मौसमी सीमा के मुकाबले खरीदार द्वारा खरीदी गई पिछली मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए पीओएस एप्लिकेशन का उन्नयन किया गया है।

इसके अलावा, जमाखोरी, विपथन और कालाबाजारी को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को उल्लिखित कदाचारों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। इन कदाचारों के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 27.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.5531 के उत्तर के भाग (घ) से संबंधित है।

नैनो यूरिया का उत्पादन और बिक्री (प्रत्येक 500 मिलीलीटर की लाख बोतलें)											
क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (28.02.2026 तक)	
		उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	5.80	0.00	4.80	0.00	3.24	0.92	3.01	5.34	6.83
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.00	4.39	0.00	6.09	0.00	8.27	0.00	11.33	0.00	14.63
5	बिहार	0.00	14.84	0.00	28.56	0.00	12.82	0.00	12.15	0.00	6.79
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	0.00	5.23	0.00	11.02	0.00	4.33	0.00	3.56	0.00	3.48
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	290.00	8.75	375.44	17.60	3.39	27.61	145.51	30.10	66.39	12.21
13	हरियाणा	0.00	16.29	0.00	12.69	0.00	8.47	0.00	10.21	0.00	10.07
14	हिमाचल प्रदेश	0.00	1.50	0.00	1.27	0.00	1.53	0.00	1.73	0.00	1.43
15	जम्मू और कश्मीर	0.00	2.01	0.00	3.00	0.00	2.95	0.00	1.26	0.00	1.09
16	झारखंड	0.00	1.55	0.00	3.66	0.00	2.22	0.00	3.94	0.00	4.39
17	कर्नाटक	0.00	8.18	0.00	19.64	0.00	9.59	3.14	15.57	16.81	16.96
18	केरल	0.00	1.00	0.00	1.20	0.00	0.60	0.00	0.76	0.00	0.82
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	0.00	16.12	0.00	23.38	0.00	16.29	0.00	24.92	0.00	16.68
21	महाराष्ट्र	0.00	16.51	0.00	25.04	0.00	14.98	0.00	35.64	0.00	16.09
22	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.00	4.18	0.00	11.21	0.00	6.78	0.00	5.78	0.00	8.15
27	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	पंजाब	0.00	17.77	0.00	22.71	0.00	22.79	5.83	24.80	4.05	14.27
29	राजस्थान	0.00	15.02	0.00	25.23	0.00	20.08	0.00	22.08	0.00	18.87
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	0.00	12.07	0.00	10.02	0.00	4.64	0.00	7.20	0.00	7.46
32	तेलंगाना	0.00	5.87	0.00	6.00	0.00	3.09	0.00	5.31	0.00	9.97
33	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	उत्तराखंड	0.00	1.40	0.00	2.34	0.00	1.68	0.00	1.76	0.00	1.41
35	उत्तर प्रदेश	0.00	40.63	99.68	63.52	87.23	22.59	240.34	30.78	120.08	13.89
36	पश्चिम बंगाल	0.00	13.02	0.00	26.36	0.00	12.42	0.00	21.79	0.00	15.66
सकल योग		**290.00**	**212.13**	**475.12**	**325.35**	**90.62**	**206.97**	**395.74**	**273.68**	**212.66**	**201.14**